

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2024-हिं.अ.


दिनांक: 03.01.2025

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.12.2024 को हुई अक्टूबर-दिसम्बर, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.12.2024 को अपराह्न 12.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई अक्टूबर-दिसम्बर, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(पदम सिंह)

वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

वितरण:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक(रा.भा.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.12.2024 को अक्टूबर-दिसम्बर,2024 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्टूबर-दिसम्बर, 2024 अवधि की एक बैठक दिनांक 17.12.2024 को अपराह्न 12.00 बजे, प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्रीमती दिव्या यानामदाला, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. राजेश कपूर, उप-निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.	सदस्य
4.	श्री विजय पाल सिंह, वित्त सलाहकार, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग के प्रतिनिधि:- श्री धर्मपाल शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री राजकुमार, प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- श्री योगेन्द्र कुमार, डाटा एंट्री ऑरेटर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रशासनिक अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- सुश्री सोनू, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
10.	प्रशासनिक अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- श्रीमती चन्द्रा बिष्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री प्रेमपाल, वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री शिवानंद ठाकुर, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री सुरेन्द्र कूलवाल, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

14.	श्री सतीश कुमार, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग के प्रतिनिधि:- डॉ. राजकुमार यादव, आचार्य, शरीरक्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री सतीश कुमार, सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	श्री जितेन्द्र बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) के प्रतिनिधि:- श्री अनिल आर.सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री हरगोपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	वरिष्ठ भंडार अधिकारी (नि.का.) की प्रतिनिधि:- श्रीमती हरीशा सूरी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भंडार अनुभाग(नि.का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) के प्रतिनिधि:- श्री राजकुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
22.	श्री जोगिन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल) एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
23.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री महेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	श्री मंगल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कें.अ., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री विनीत कुमार, आशुलिपिक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र की प्रतिनिधि:- श्रीमती सूक्ष्म रानी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	श्री महेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्री सोहनबीर, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
30.	श्रीमती अनिता राय सक्सेना, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
31.	श्री विजय कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित

32.	श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	समिति संयोजक
33.	श्री पदम सिंह, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय अपने पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव की ओर से श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी ने बैठक की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) डॉ. राजेश कपूर तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत किया और तत्पश्चात, हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं. 1 पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

कार्यवाही - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में संस्थान के 04 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण 09 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फरवरी, 2025 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की ऑफलाइन कक्षाओं हेतु संस्थान के कर्मचारीगण के नामांकन मंगवाने हेतु दिनांक 14.11.2024 को हिंदी अनुभाग की ओर से एक परिपत्र जारी कर दिया गया है और हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि फरवरी, 2025 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यवाही - हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए तथा संस्थान में हिंदी केंद्र के पदों हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि हिंदी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर संस्थान की आंतरिक केंद्र रिव्यू समिति की सिफारिशों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) एवं शासी निकाय (जी.बी.) की स्वीकृति के बाद दिनांक 20.03.2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केंद्र समीक्षा की सिफारिशों के संबंध में चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है एवं उपरोक्त विषय अभी चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में लंबित है।

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान में संस्थान में हिंदी केंद्र के कुल 13 पद स्वीकृत हैं जिसमें से वरिष्ठ हिंदी अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के एक-एक पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने के कारण अभी रिक्त हैं। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को यह भी सूचित किया गया कि हिंदी अनुभाग में इस समय कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के 03 नियमित पद रिक्त हैं जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा तत्काल भरा जाना अपेक्षित है।

इस विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए, डॉ. राजेश कपूर, उप-निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले तथा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु संस्थान द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में हिंदी केंद्र के पदों हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर तथा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 4 संस्थान की वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतर संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि संस्थान की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर करने हेतु शैक्षिक अनुभाग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के कुल 69 अध्याय हिंदी रूपांतर हेतु गत वर्ष की अपेक्षा काफी देरी से दिनांक 18 नवम्बर 2024 से हिंदी अनुभाग को उपलब्ध कराने प्रारम्भ किए गए थे और जिनका हिंदी रूपांतर करने हेतु शैक्षिक अनुभाग/वार्षिक रिपोर्ट समिति द्वारा हिंदी अनुभाग को दिनांक 15 दिसम्बर, 2024 तक की समय-सीमा दी गयी थी। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा उपर्युक्त समय-सीमा का पालन करते हुए शैक्षिक अनुभाग द्वारा प्रेषित सभी 69 अंग्रेजी अध्यायों का हिंदी रूपांतर शैक्षिक अनुभाग को पूर्ण करके भेज दिया गया है लेकिन अभी भी 02 अध्याय हिंदी रूपांतर हेतु शैक्षिक अनुभाग से प्राप्त होने शेष है। इस विषय पर माननीय निदेशक महोदय ने अपना संतोष प्रकट किया और समिति को सूचित किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय से भी संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करके समय से भेजने के निदेश प्राप्त हुए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वार्षिक रिपोर्ट संबंधी कार्य वार्षिक रिपोर्ट समिति और हिंदी अनुभाग द्वारा समय पर पूर्ण करना अपेक्षित है।

इस विषय पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि शैक्षिक अनुभाग द्वारा हिंदी रूपांतर हेतु शेष सामग्री भी हिंदी अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए ताकि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर संबंधी कार्य समय से पूर्ण किया जा सके।

कार्रवाई - शैक्षिक अनुभाग/हिंदी अनुभाग

मद सं. 5 हिंदी अनुभाग हेतु सी-11/22 फ्लैट के स्थान पर कार्यालय उपयोग हेतु उचित वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाने संबंधी।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि वर्ष 2022 में हिंदी अनुभाग को कार्यालय उपयोग हेतु सी-11/22 फ्लैट अस्थाई तौर पर आबंटित किया गया था जिसे संपदा अनुभाग द्वारा दिनांक 29.11.2024 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया है और वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था हेतु स्पेस कमेटी को संपर्क करने का निदेश भी दिया गया है। हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में हिंदी अनुभाग के पास संस्थान कैफेटेरिया के निकट एक छोटा सा कार्यालय भी है लेकिन उसमें स्थान की कमी होने के कारण हिंदी अनुभाग के सारे स्टाफ को एक जगह बैठाया नहीं जा सकता है। अतः हिंदी अनुभाग के लिए उचित वैकल्पिक स्थान की तत्काल व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

इस संदर्भ में, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय ने निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि हिंदी अनुभाग द्वारा इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को ई-ऑफिस के माध्यम से एक फाइल भेजी गई थी जिसे उचित कार्रवाई हेतु कुल-सचिव महोदय को अग्रेषित कर दिया गया है।

समिति द्वारा इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग के स्टाफ सदस्यों के लिए संस्थान में अन्य किसी जगह पर पर्याप्त स्थान की

व्यवस्था शीघ्र की जाए ताकि हिंदी अनुभाग द्वारा सी-11/22 फ्लैट को खाली करने की कार्रवाई की जा सके। निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि स्पेस समिति और संपदा अनुभाग द्वारा हिंदी अनुभाग हेतु उचित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाए।

कार्रवाई - कुल सचिव/संपदा अनुभाग

मद सं. 6 संस्थान की अप्रैल-जून, 2024 अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 65% और "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार अप्रैल-जून, 2024 अवधि के मुकाबले 71.32% से केवल 2% बढ़कर 73.65% ही हो पाया है।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य से बहुत कम पत्राचार हिंदी में किया गया है, उन सभी अनुभागों/केंद्रों के प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी की ओर से एक पत्र जारी करके सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के निदेश जारी किए जाएं जिसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 23.10.2024 एवं दिनांक 30.10.2024 को माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन जारी करके संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सभी अनुभागों/केंद्रों को हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षित वृद्धि करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के निदेश दिए गये हैं।

संस्थान की 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा के दौरान माननीय समिति द्वारा यह पाया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता इन अनुभागों द्वारा अप्रैल-जून तिमाही की अपेक्षा 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी में मूल पत्राचार में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि संस्थान के कंप्यूटर सुविधा द्वारा अप्रैल-जून तिमाही में 60% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया था जोकि जुलाई-सितम्बर अवधि में घटकर 22% पर आ गया है जिस कारण हिंदी पत्राचार का प्रतिशत इस तिमाही में केवल 2% ही बढ़ पाया है। माननीय निदेशक महोदय द्वारा इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया। माननीय निदेशक महोदय ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों और कंप्यूटर सुविधा द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गंभीरता से प्रयास किए जाएं।

माननीय निदेशक महोदय ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह भी कहा कि संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 100% लक्ष्य से बहुत कम पत्राचार हिंदी में किया गया है, उन सभी अनुभागों/केंद्रों को हिंदी अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यदि आवश्यक हो तो वे स्वयं भी हिंदी अनुभाग के साथ जाकर संबंधित अनुभागों/केंद्रों के स्टाफ और अधिकारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विचार-विमर्श के दौरान हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को यह सुझाव दिया गया कि संस्थान में सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रशासनिक अनुभागों/केंद्रों को सहायता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी-हिंदी एवं हिंदी-अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली की प्रतियां उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जिसकी एक प्रति का मूल्य मात्र ₹ 20/- है और ये भी भारत सरकार के कार्यालयों को 50% छूट के पश्चात ₹ 10/- के नाममात्र मूल्य पर उपलब्ध करायी जाती है।

हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में 05 दिसम्बर, 2024 को संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों के सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें उन्हें तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सही प्रकार से भरने एवं इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि संस्थान में अगली हिंदी कार्यशाला का आयोजन जनवरी-फरवरी, 2025 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास किए जाएं और हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया और साथ ही हिंदी अनुभाग को यह आदेश भी दिया कि संस्थान में सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के सभी प्रशासनिक कार्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी-हिंदी एवं हिंदी-अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली की प्रतियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाई जाएं।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय, डॉ. राजेश कपूर, उप-निदेशक (रा.भा.), स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।